तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25.6.19	पत्रावली आज पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित तहसीलदार बेगूं द्वारा पत्रावली में फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई पत्रावली आइन्दा वास्ते बहस बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 16/7/19 को पेश हो।	
16/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार बेगूं द्वारा फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर बहस की गई। दोनों अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर सहमति प्रकट की गई। तहसीलदार बेगूं द्वारा प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो। 16/7/19	द. वादीगण द. प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰

वाद संख्या 146/2016

1. शांतिलाल पिता हजारी धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
2. घीसालाल पिता देबीलाल धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ

.................वादी

बनाम

1. नटवरलाल पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
2. बाबूलाल पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
3. शांतिबाई पत्नी कन्हैयालाल धाकड़ निवासी बवलन्तनगर तहसील बेगूँ
4. चुन्नीलाल पिता उंकार धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
5. माधोलाल पिता हेमा धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
6. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ राजस्थान
7. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय बेगूँ
8. शाखा प्रबन्धक चित्तौड़गढ सहकारी भूमि विकास बेंक लि0 शाखा बेगूँ
9. शाखा प्रबन्धक स्टेट बेंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बेगूँ

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित : के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी
बी.के. भट्ट
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 16.07.2019

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधिवक्ता श्री के.सी. मंत्री द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काटून्दा पटवार हल्का काटून्दा तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 1795 रकबा 1.500 हे0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी में अंकित स्थित है व मौके पर वादी कमांक 1 हिस्सा 1/4 वादी कमांक 2 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 5 हिस्सा 1/4 अनुसार काबिज हो काश्त कर रहे है। उक्त आराजी संख्या 1795 रकबा 1.500 हे0 (9 बीघा 05 बिश्वा) भूमि वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज कन्हैयालाल प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जरिये पंजिकृत विकय विलेख दिनांक 07.09.1991 को निष्पादित एवं दिनांक 11.09.1991 को पंजीकृत से श्री देबीनारायण पिता भुरा धाकड से किमतन खरीद की गई जो स्थित है। उक्त आराजी खरीद के समय प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पुर्वज कन्हैयालाल एवं प्रतिवादी संख्या 4 चुन्नीलाल का संयुक्त हिस्सा 1/4, वादी कमांक 1 का हिस्सा 1/4, वादी कमांक 2 का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/4 अनुसार हिस्सा राशी अदा कर खरीद की गई व इसी अनुसार हिस्सा होना विकयपत्र के आधार पर जो नामान्तरण (नामान्तरण संख्या 837) भूमि खरीददार के नाम पर हुआ उसमें राजस्व कर्मचारियों ने की भी हिस्सा अंकित नही किया जबकि विकयपत्र में केतागण कमांक 1 कन्हैलाल चुन्नीलाल पिता उंकार, कमांक 2 घीसालाल पिता देवीलाल कमांक 3 माधोलाल पिता हेमा एवं कमांक 4 शांतिलाल पिता हजारी धाकड के रूप में अंकित किये गये व विकयपत्र में केतागण चारो का बराबर हक हिस्सा रहेगा, का अंकन होने बावजूद राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तरण में हिस्सा अंकित नही किया जिससे वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अंकित नही है जो कानूनन होना आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ)

Scanned by CamScanner

कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अंकित नही होने से अपने हिस्सा 1/8 से अधिक भूमि हिस्सा 1/5 होना कह कर मौके पर इसी अनुसार वादीगण से कब्जा छिन कर कब्जा करने की एलानिया धमकिया दे रहे है। दिनांक 08.12.2016 को तो इन्होने भूमि का हिसस 1/5 को अन्य को हस्तान्तरण करने की धमकिया दी है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादी कमांक 1 हिस्सा 1/4 वादी कमांक 2 हिस्सा 1/4 निहित है जिसे वादीगण अपने स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की घोषणा करा बाद घोषणा हिस्सा अपने हिस्सा को विभाजन कराने के पुर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु वादीगण का यह वाद वास्ते घोषणा एवं विभाजन के लिए व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध उनके द्वारा दी जा रही धमकियो के कारण स्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। वाद कारण दिनांक 08.12.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादीगण को भूमि से उनके हिस्से की कुछ भूमि से बेदलखल कर देने या अपने हिस्सा से अधिक की भूमि का अन्य को हस्तान्तरण करने की धमकिया दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है कि :

पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि मोजा काटून्दा की आराजी संख्या 1795 रकबा 1.500 हे0 भूमि में वादी कमांक 1 का हिस्सा 1/4 वादी कमांक 2 हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/4 होकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है।

पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाद घोषणा हिस्सा वादी कमांक 1 हिस्सा 1/4 वादी कमांक 2 का हिस्सा 1/4 जरिये विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज किये जाने की डिकी प्रदान की जावे।

पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीसंख्या 1 से 3 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्रदान की जावे कि वे वादीगण के हिस्सा कब्जे की भूमि में किसी तरह की दखलअंदाजी न ही करे न किसी अन्य से करावें।

अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावे।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन न्यायालय में तलब किया गया। प्रतिवादीसंख्या 1, 2, 3 की ओर से वकालतनामा अधिवक्ता श्री भोलेश भट्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 स्वयं उपस्थित होकर जवाब वाद प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने बताया कि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 नटवरलाल, बाबूलाल पिता कन्हैयालाल व श्रीमति शांतिबाइ पति कन्हैयालाल धाकड बलवन्तनगर के नमा से तीन खाते में ऋण राशी बकाया चल रही है उक्त ऋण की प्रतिभूमि में वादपत्र में वर्णित आराजियात इस बेंक ऋण सुरक्षा का ध्यान रखा जावें तथा उक्त ऋणियों के राजस्व रेकार्ड मं बेंक का रहन दर्ज पुर्व हिस्सा अनुसर रखने की कृपा करे। प्रतिवादी सख्या 4, 5 व 9 बावजूद सूचना के न्यायालय में हाजिर नही आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1,2,3 की ओर से जवाब वाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,3 ने जवाब वाद में बताया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी संख्या 1795 रकबा 1.500 हे0 भूमि पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। वादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत करके जरिये नामान्तरण संख्या 867 के क्षरा नुमाईषी विकय पत्र के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा लिया है जो कानूनन गलत है।

वादपत्र की चरण संख्या 1 में वण्रित भूमि प्रतिवादीगण की पेतृक भूमि होकर प्रतिवादीगण पेतृक रूप से काबिज हो काश्त कर रहे है। वादीगण का वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त नही होने से उक्त वादपत्र मय प्रार्थना–पत्र कब्जे के अभाव में भी चलने योग्य नही है। पत्रावली में जवाब वाद प्रस्तुत होने पर पत्रावली कायमी तनकी हेतु नियत की गयी। इस दौरान पत्रावली को रेवन्यु बोर्ड के आदेशो कि पानला में दिनांक 14.05.2018 को राजस्व लोक अदालत शिविर काटून्दा पर रखी गयी। जिसमें पक्षकारारान की समूचित सूनवाई करते हुये पत्रावली में प्राथमिक डिकी किये जाने के आदेश निम्नानुसार दिये गये :

" वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है। मोजा काटून्दा की आराजी संख्यास 1795 रकबा 1.500 हे0 भूमि में वादी कमांक 1 हिस्सा 1/4 एवं वादी कमांक 2 के फोत होने से वारिसान

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

लाभचंन्द पिता घीसालाल, शांतिबाई पत्नी स्व0 घीसालाल धाकड का हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/4 अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मोके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए विीजन किये जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस दो प्रति में पेश किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000 /-रू. शुल्क पर गोका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आपसी राजीनाम अनुसार निर्धारित प्रपत्र में डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल पत्रावली की जाकर प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावे।"

तहसीलदार बेगूँ को प्राथमिक डिक्री की प्रति पालना हेतु भिजवाई गई। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदा बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 571 दिनांक 14.06.2019 से फर्द बटवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। उक्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवाडा रिपोर्ट अनुसार बटवारा किये जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत फर्द बटवारा रिपोर्ट का ध्यान पुर्वक अवालोकन किया। उक्त फर्द बटवारा रिपोर्ट न्यायालय द्वारा जारी की गई प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 14.05. 2018के मुताबिक एवं दोनो पक्षों के सहमत होने से वादपत्र वादीगण का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। ग्राम काटून्दा पटवार हल्का काटून्दा तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 1795 रकबा 1.500 है0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के मध्य मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट , हिस्सा पृथक-पृथक कर निम्नानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है :

1. शांतिलाल पिता हजारी धाकड निवासी बलवन्तनगर के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
1795	0.37	2.51

2. लाभचन्द पिता घीसालाल, शांतिबाई पत्नी घीसालाल धाकड निवासी बलवन्तनगर के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
1795	0.37	2.51

3. नटवरलाल पिता कन्हैयालाल धाकड, बाबूलाल पिता कन्हैयालाल धाकड, शांतिबाई पत्नी कन्हैयालाल धाकड, चुन्नीलाल पिता उंकार धाकड निवासी बलवन्तनगर रहन स0 भू0 वि0 बेंक लि0 चि0 शाखा बेगूँ हिस्सा नटवरलाल, बाबुलाल, शांतिबाई रहन एस0बी0बी0जे0 शाखा बेगूँ हिस्सा चुन्नीलाल का

आराजी नं0	रकबा	लगान
1795	0.37	2.51

4. माधुलाल पिता हेमा धाकड निवासी बलवन्तनगर के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
1795	0.37	2.51

5. शांतिलाल पिता हजारी धाकड 1/4 लाभचन्द पिता घीसालाल, शांतिबाई पत्नी घीसालाल धाकड 1/4 नटवरलाल पिता कन्हैयालाल, बालूलाल पिता कन्हैयालाल धाकड शांतिबाई पत्नी कन्हैयालाल धाकड चुन्नीलाल पिता उंकार धाकड 1/4 माधु पिता हेमा धाकड निवासी बलवन्तनगर रहन बदस्तुर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

आराजी नं0	रकबा	लगान
1795	0.02	0.16

शामलात में 0.02 हे0 भूमि रास्ते के उपयोग रहेगी। उपरोक्तानुसार खाता राजस्व रेकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का दर्ज किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में न तो स्वयं दखलअंदाजी करे ना ही किसी अन्य से करावे।

आदेश आज दिनांक 16.07.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

16/7/19

(रमेश सीरवी मुन्नाडिया)
सहायक कलक्टर, (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)

दावा संख्या : 146/2016

1. शांतिलाल पिता हजारी धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
2. घीसालाल पिता देबीलाल धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ

..................वादी

बनाम

1. नटवरलाल पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
2. बाबूलाल पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
3. शांतिबाई पत्नी कन्हैयालाल धाकड़ निवासी बवलन्तनगर तहसील बेगूँ
4. चुन्नीलाल पिता उंकार धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
5. माघोलाल पिता हेमा धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
6. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ राजस्थान
7. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय बेगूँ
8. शाखा प्रबन्धक चित्तौड़गढ सहकारी भूमि विकास बेंक लि0 शाखा बेगूँ
9. शाखा प्रबन्धक स्टेट बेंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बेगूँ

.........प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री बी.के. भट्ट की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88–53–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 16.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिकी निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र अंतिम डिकी किया जाता है। ग्राम काटून्दा पटवार हल्का काटून्दा तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 1795 रकबा 1.500 हे0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के मध्य मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट , हिस्सा पृथक–पृथक कर निम्नानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है :

1. शांतिलाल पिता हजारी धाकड निवासी बलवन्तनगर के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
1795	0.37	2.51

2. लामचन्द पिता घीसालाल, शांतिबाई पत्नी घीसालाल धाकड निवासी बलवन्तनगर के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
1795	0.37	2.51

3. नटवरलाल पिता कन्हैयालाल धाकड, बाबूलाल पिता कन्हैयालाल धाकड, शांतिबाई पत्नी कन्हैयालाल धाकड, चुन्नीलाल पिता उंकार धाकड निवासी बलवन्तनगर रहन स0 भू0 वि0 बेंक लि0 चि0 शाखा बेगूँ हिस्सा नटवरलाल, बाबुलाल, शांतिबाई रहन एस0बी0बी0जे0 शाखा बेगूँ हिस्सा चुन्नीलाल का

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ)

Scanned by CamScanner

आराजी नं0	रकबा	लगान
1795	0.37	2.51

4. माधुलाल पिता हेमा धाकड निवासी बलवन्तनगर के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
1795	0.37	2.51

5. शांतिलाल पिता हजारी धाकड 1/4 लाभचन्द पिता घीसालाल, शांतिबाई पत्नी घीसालाल धाकड 1/4 नटवरलाल पिता कन्हैयालाल, बालूलाल पिता कन्हैयालाल धाकड शांतिबाई पत्नी कन्हैयालाल धाकड चुन्नीलाल पिता उंकार धाकड 1/4 माधु पिता हेमा धाकड निवासी बलवन्तनगर रहन बदस्तुर

आराजी नं0	रकबा	लगान
1795	0.02	0.16

शामलात में 0.02 हे0 भूमि रास्ते के उपयोग रहेगी। उपरोक्तानुसार खाता राजस्व रेकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का दर्ज किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में न तो स्वयं दखलअंदाजी करे ना ही किसी अन्य से करावे।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 16.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई है।

16/7/19

रमेश सीरवी पुनाडिया
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ राज।

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner